पत्रांकः– भवन/बजट–84–योजना–(खान एवं भूतत्व विभाग)–02/2024–25....1016 (M)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांकः– 28/10/26

विषयः– खान एवं भूतत्व विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्यवन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल ₹ **39,08,981/– (उनतालीस लाख आठ हजार नौ सौ इक्यासी रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

कार्यापालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या–01, पटना द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य हेतु निम्न विवरणीनुसार ₹ **39,08,981/– (उनतालीस लाख आठ हजार नौ सौ इक्यासी रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई.डी.	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026–27 मे व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या–01, पटना	35204	Supply and Installation of Furniture work in Room No. 47 & 48 (Minister Chamber Cell) Mines Deptt. At Vikash Bhawan, Patna for the year 2026-27	4861/27.07.2026	24,63,896/– (चौबीस लाख तिरेसठ हजार आठ सौ छियानवे रूपये)
2		35193	Renovation of Room No. 47, & 48 (Minister Chamber and Cell) Mines Deptt. at Vikash Bhawan, Patna for the year 2026-27.	4862/27.07.2026	14,45,085/– (चौदह लाख पैंतालीस हजार पचासी रूपये)
कुलः–					**39,08,981/–**

(उनतालीस लाख आठ हजार नौ सौ इक्यासी रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि व्यय मांग संख्या–03 के अंतर्गत मुख्यशीर्ष–2059–लोक निर्माण कार्य, उपमुख्यशीर्ष–01–कार्यालय भवन, लघुशीर्ष–053–रख रखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष–0027–खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार, **विपत्र कोड–03–2059010530027** विषय शीर्ष–27–लघुकार्य –0027.27.02–अनुरक्षण एवं मरम्मत के अन्तर्गत निर्धारित बजट उपबंध के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में किया जायेगा।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वि कार्यापालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या–01, पटना होंगे।
4. इस राशि के निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्ष्म प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

28/10/26

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।